



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 188-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 15, 2020 (AGRAHAYANA 24, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 दिसंबर, 2020

संख्या 101/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसके बाद इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 93/जीएसटी-2, दिनांक 17 नवंबर, 2020 तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 91/जीएसटी-2, दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 अधिसूचनाओं को अधिकांश करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य कर आयुक्त, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके बाद इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है), के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए, प्रत्येक कर अवधि के लिए, समय सीमा का विस्तार ऐसी कर अवधि के लिए उत्तरवर्ती महीने के ग्यारहवें दिन तक करते हैं :-

परंतु उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का ऐसी कर अवधि के उत्तरवर्ती महीने के तेरहवें दिन तक विस्तार किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2021 से लागू होगी।

शेखर विद्यार्थी,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त-कम-राज्य,
कर आयुक्त, हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 15th December, 2020

No. 101/GST-2.— In exercise of the powers conferred by the second proviso to Sub-section (1) of Section-37 read with Section 168 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 93/GST-2, dated the 17th November, 2020 and Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 91/GST-2, dated the 28th October, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner of State Tax, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), for each of the tax periods, till the eleventh day of the month succeeding such tax period:

Provided that the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the said rules for the class of registered persons required to furnish return for every quarter under proviso to Sub-section (1) of Section 39 of the said Act, shall be extended till the thirteenth day of the month succeeding such tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.

SHEKHAR VIDYARTHI,
Excise & Taxation Commissioner-cum-
Commissioner of State Tax, Haryana.